



# समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

**माननीय श्री पानाचन्द जैन**  
संरक्षक ( पूर्व न्यायाधिपति )

**माननीय श्री अशोक कुमार सिंह**  
संरक्षक ( पूर्व मेजर जनरल )

**माननीय श्री भागीरथ शर्मा**  
संरक्षक ( पूर्व आई. ए. एस. )

**पाराशर नारायण शर्मा**  
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

**विमल चौरडिया**  
महासचिव, मो. 094140-58289

**ललित चाचाण**  
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं  
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-**

**जयपुर**  
**ऋषिराज राठौड़**  
मो. 9694348039

**अजमेर**  
**एन. क. झामड़**  
मो. 9414008416

**बीकानेर**  
**वाई. क. योगी**  
मो. 9414139621

**भरतपुर**  
**हेमराज गोंयल**  
मो. 9460926850

**जोधपुर**  
**कैलाश राजपुराहित**  
मो. 8963095311

**कोटा**  
**डॉ. अनिल शर्मा**  
मो. 9414662244

**उदयपुर**  
**दूल्हा सिंह चूण्डावत**  
मो. 9571875488

क्रमांक 64498

दिनांक : 28.05.2023

श्रीमान् अशोक गहलोत,  
माननीय मुख्यमंत्री,  
राजस्थान सरकार,  
जयपुर।

:: स्मरण पत्र ::

विषय:- पेंशन कम्प्यूटेशन राशि की रिकवरी अवधि घटाने के बाबत।  
संदर्भ:- समता आन्दोलन समिति का पत्र दिनांक 02.12.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,


विन्नम निवेदन है कि समता आन्दोलन समिति ने दिनांक 02.12.2021 को पत्र लिख कर निवेदन किया था कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्प्यूट करवाकर अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त करने की सुविधा मिली हुई है। यह राशि आगामी 14-15 वर्षों में पेंशन में से ब्याज सहित कटौती करके वसूल की जाती है और कर्मचारियों को इस कटौती अवधि (14-15वर्ष) के पूरा होने के पश्चात् ही पूरी पेंशन मिलने लगती है।

उपरोक्त कम्प्यूटेशन राशि की वसूली की गणना पुरानी ब्याज दरों के आधार पर की हुई है, जो बहुत ज्यादा अर्थात् 10 से 12 प्रतिशत हुआ करती थी उस समय कम्प्यूटेशन राशि वसूली की गणना 8-8.5 प्रतिशत की दर से की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में ब्याज की दरों में भारी गिरावट आयी है। आज की तारीख में सावधि जमा पर अधिकतम ब्याज दरें 5-6 प्रतिशत रह गयी है तब कम्प्यूटेशन राशि वसूली की गणना 4-4.5 की दर से किये जाना न्यायोचित है। अतः पुरानी ब्याज दरों के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में से कम्प्यूटेशन राशि की वसूली 14-15 वर्षों तक करते रहने से देश के वरिष्ठ नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है जो अविधिक होने के साथ-साथ अन्यायपूर्ण भी है। उपरोक्त के संदर्भ में आपसे पुनः निवेदन है कि :-

1. सभी सेवानिवृत्त लोकसेवकों की पेंशन में से कम्प्यूटेशन राशि वसूली अवधि की गणना शनैः-शनैः घटती ब्याज दरों के आधार पर पुनः करवायी जायें। जिनकी वसूली पूरी हो चुकी है उन्हें तत्काल पूरी पेंशन दिया जाना शुरू किया जावे। जिनकी वसूली अवधि ब्याज दर के आधार पर घट चुकी है उन्हें घटी हुई वसूली अवधि की सूचना तत्काल दी जाये।
2. जिन सेवानिवृत्त लोकसेवकों से कम्प्यूटेशन राशि पुरानी ब्याज दरों के आधार पर अधिक अवधि तक वसूल की जाती रही है उन्हें अधिक वसूल की गयी राशि का ब्याज सहित पुनः भुगतान तत्काल करवाया जावे।

त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,



(पाराशर नारायण)

अध्यक्ष